न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहुजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या 317/2012

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर (राजस्थान)

– – वादी

–:: बनाम ::–

1. चन्द्रकला पत्नी श्री आदराम जाति जट सिख साकिन बीझवायला श्रीगंगानगर
2. अमरिन्द्र पुत्र गुरनेकसिंह जट सिख्या निवासी 3/48 हाउसिंग बोर्ड जवाहरनगर श्रीगंगानगर
3. कलवन्त कौर पत्नी कृपालसिंह जाति जट सिख 2 एन एन पदमपुर
4. गुरदर्शन सिंह पुत्र रिछपाल सिंह जातिजट सिख निवासी 2 एन एन पदमपुर

– – **प्रतिवादीगण**

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

1. पैरोकार राज – – वादी
2. श्री बचन सिंह अधिवक्ता – – प्रतिवादी सं.1
3. श्री ओ.पी.बतरा अधिवक्ता – – प्रतिवादी सं.2,3,4

दिनांक :–22 फरवरी, 2018

–:: निर्णय ::–

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के अनुसार प्रतिवादी के नाम चक 4 ए छोटी के मु.नं.50 किला नं. 21/1=0.228, 22/1=0.076, कुल=0.304 हैक्टेयर खातेदार के नाम कृषि भूमि दर्ज रिकार्ड है (जमाबंदी की प्रति संलग्न है)

उक्त खातेदारी भूमि चक 4 ए छोटी के मु.नं.50 किला नं. 21/1= 0.228, 22/1=0.076, कुल 0.304 हैक्टेर कृषि भूमि का उपयोग कृषि कार्य में न होकर मौके पर सडके बना कर अकृषि कार्य में किया जा रहा है।

उक्त अराजी काबिले काश्त है, केवल मा. कृषि कार्य के लिए दी गई है इसे बिना सक्षम अधिकारी से संपरिवर्तन कराये/स्वीकृति प्राप्त किये अकृषि कार्य में उपयोग की जा रहा है, सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना अकृषि कार्य में उपयोग लेना गैर कानूनी है। चक 4 ए छोटी के मु.नं. 50 किला नं. 21/1=0.228, 22/1=0.076, कुल 0.304 हैक्टयर रकबा मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का साहुवाला अनुसार बिना स्वीकृति/संपरिवर्तन कराये अकृषि उपयोग में किया जा रहा है रिपोर्ट पटवारी हल्का साहुवाला संलग्न है।

वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। दावा की मद संख्या 4 भी गलत है रिपोर्ट पटवारी की गलत है। पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में यह कहीं नहीं लिखा है कि किस तारीख चक 4 ए छोटी के मुरब्बा नम्बर 50 के किला नम्बर 21/1 में 0. 228 है, 22/1 में 0.076 हैक0, कुल 0.304 हैक. नहरी अकृषि कार्य के उपयोग में लिया जा रहा है। इस प्रकार से इसको अकृषि कार्य में उपभोग में लाया जा रहा है। अतः किसी अधूरी व गलत रिपोर्ट का अधार नहीं कही जा सकती है ना ही वाद वादी चलने योग्य है।

वादी ने अपने वाद पत्र में यह नहीं लिखा कि उसका दावा किस तरह से अंदर मियाद है। जबकि धारा 177 में मियाद 3 साल की नियत है। कुछ इसके अभाव में दावा में रिपोर्ट सरिस्ता ही सही न होने से दावा को पोषणीय ना होने से तुरन्त ही खारिज किया जाना चाहिए था।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

प्रतिवादी ने अपनी कृषि भूमि का बेचान चार अलग अलग व्यक्तियों को कर दिया है तथा बैयना में उनके हक में करवा दिये है तथा आज तक कृषि भूमि के खरीदारान द्वारा इन्तकाल दर्ज न करवाये जाने के कारण्रा प्रतिवादियों के नाम जमाबंदी में दर्ज चला आ रहा है। इसलिए वर्तमान में खरीदारान को पक्षकारान बनाया जाना चाहिए। जवाबदावा पेश कर निवेदन है कि दावा वादी मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

दिनांक 14.10.2017 को तनकीयात कायम की गई।

1. आया कि चक 4 ए छोटी के मु.नं.50 की 0.304 हैक्टयर भूमि की किस्त परिवर्तन करवाये बिना ही मौके पर सडके आवासीय कमकान एवं पलाट काट कर अकृषि कार्य में उपयोग की जा रही है। इसलिए राज्य हित में निहित की जावे? वादी

2. आया कि उक्त विवादास्पद भूमि में से 0.131 हैक्टयर भूमि ही अकृषि कार्य के उपयोग में लिया जा रहा है वाद पत्र मियाद के बाहर है। उक्त भूमि का बेचान कर दिया गया है खरीददारान के द्वारा इन्तकाल नहीं करवाये जाने के कारण जमाबंदियों में नाम चला आ रहा है। प्रतिवादीगण के विरूद्ध 177 की कार्यवाही समाप्त कर वाद वादी खारिज योग्य है? प्रतिवादी

3. अनुतोष

साक्ष्य वादी हेतु पैरोकार राज बलवीर सिंह राजस्व पटवारी के बयान लिये गये जिसमें पैरोकार राज द्वारा साक्ष्य कथन के साथ मौका निरीक्षण, मौका पर सडक का निर्माण किया हुआ, मौका नक्शा, राजस्व जमाबंदी, खसरा गिरदावरी व मौके की फोटो इत्यादि साक्ष्य अभिलेख पेश किये।

दिनांक 03.05.2016 को प्रतिवादी अमरिन्द्र, कलवन्तकौर एवं गुरदर्शन सिंह की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. प्रस्तुत किया गया। वकील प्रतिवादीगण एवं पैरोकार राज को सुना गया। वादी पैरोकार राज के द्वारा कोई ऐतराज नहीं किये जाने के कारण इनका प्रार्थना पत्र स्वीकृत किया जाकर प्रतिवादी सं. 2 ता 4 का नाम मूल वाद एवं प्रार्थना पत्र में लाल स्याही से अंकन किया गया।

दिनांक 3.01.2017 को वकील प्रतिवादी संख्या 3 व 4 की ओर से जवाब पेश किया जिसके तथ्यानुसार वाद सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुपालना नहीं की गई क्योंकि वाद दो प्रतिलिपियों में प्रस्तुत नहीं किया गया और ना ही वाद के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, इसलिए वाद इसी आधार पर खारिज करने योग्य है। सुखमंदर सिंह पुत्र श्री कश्मीर सिंह के नाम चक 4 ए छोटी तहसील श्रीगंगानगर में मुरब्बा नम्बर 50 के किला नम्बर 17 में 0.126 हैक्टर 18 से 20 कुल 0.888 हैक्टयर रकबा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रतिवादी ने किसी प्रकार से धारा 177 के प्रावधान का कोई उल्लंघन नहीं किया क्योंकि प्रतिवादी ने नक्शा के अनुसार भूखण्ड संख्या 1 ए एन सीटी श्रीगंगानगर में पैमाइश 30 गुणा 60 फीट उत्तर दिशा में खुलता हुआ सफेद जगह सुखमंदर सिंह मुखत्यारेआम देवीदयाल से दिनांक 19.09.2012 को खरीद किया है तथा उपरोक्त जगह का कब्जा प्राप्त किया है तब से जमीन का कब्जा प्रतिवादी के पास चला आ रहा है उपरोक्त जगह कनर्वशन फीस जमा करवाने का प्रार्थना पत्र सक्षम अधिकारी के समक्ष दिनांक 12.02.2013 को प्रस्तुत कर दिया था जिसकी रसीद शामिल दावा है। इसलिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 की कोई अवहेलना नहीं की गई है बल्कि धारा 177 मामला चलने की वजह से प्रतिवादी कनर्वजन फीस जमा नहीं हो रही है इसलिए वाद खारिज करने योग्य है। लिहाजा जवाब दावा प्रस्तुत करके अर्ज है कि प्रतिवादीगण का खरीद शुद्धा प्लाट पर धारा 177 आरटीएक्ट की कार्यवाही समाप्त की जावे।

दिनांक 25.04.2017 को पटवारी द्वारा फर्द मौका रिपोर्ट चक 4ए छोटी प.न.साहूवाला पेश की गई। जिसके अनुसार चक 4ए छोटी के मु.नं. 50

के मु.नं. 21/1, 22/1 कुल .304 हैक0 नहरी रकबा का मौका निरीक्षण करने पहुंचा मौका पर उक्त रकबा में सडकों का निर्माण किया हुआ है। मौका पर उक्त रकबा पर कृषि कार्य नही हो रहा है। उक्त रकबा पर मौका पर कोई मकान आदि पक्का निर्माण नहीं है। उक्त रकबा राजस्व रिकार्ड जमाबंदी समवत् 2069–2072 खाता संख्या 33 में चन्द्रकला पत्नी आदराम जाति जाट के नाम खातेदारी दर्ज है।

दिनांक 06.02.2018 को गवाह अमरिन्द्र सिंह, कलवन्त कौर, गुरदर्शन सिंह के साक्ष्य शपथ पत्र पेश किये गये।

दिनांक 14.02.2018 को प्रतिवादी सं.1 के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसके अनुसार वादीया द्वारा उक्त रकबा का बेचान सम्बन्धित पक्षकारान को किया हुआ है जो वर्तमान इस प्रकरण में पखकारान है तथा उक्त कृशि भूमि को नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर में भूमि उपयोग आवासीय करने हेतू न्यास में कार्यवाही जेरकार है। जिसकी रसीदे पूर्व में शामिल प्रकरण की हुई है। उपरोक्त रकबा के सम्बन्ध में वादीगण/पक्षकारान द्वारा आगमी कार्यवाही नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर से करवा ली जायेगी। वादी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त प्रकरण से 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की कार्यवाही निरस्त की जावे ताकि वादी आगामी कार्यवाही न्यास से करवा सके।

–:: आदेश ::–

बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन करते हुऐ प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया।

प्रतिवादी द्वारा निवेदन किया गया कि उक्त प्रकरण से 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की कार्यवाही निरस्त की जावे ताकि प्रतिवादी अग्रिम कार्यवाही नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर से करवा सके। इससे यह तथ्य स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी द्वारा किसी भी दृष्टिकोण से विधि द्वारा स्थापित प्रावधानों की उल्लघना करने का दुर्विचार नहीं रहा है। निर्णय की तिथि से 90 दिवस तक स्वीकृति प्राप्त करने का समय दिया जाता है।

अतः वाद पत्र निरस्त किया जाता है।

आदेश अधिवक्तागण के समक्ष खुले न्यायालय आज दिंनाक 22 फरवरी, 2018 को सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व),
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)